Neutral Citation No.– 2026:AHC-LKO:20631

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आदेश से प्रथम अपील संख्या (दोषपूर्ण)– 12/2021

उत्तराखण्ड राज्य द्वारा जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग एवं अन्य ... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

अजीत कुमार अग्निहोत्री एवं अन्य ... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – मुकेश सिंह, अंजना सिंह, डॉ. कृष्णा सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता :– मनीष कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या – 20

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार

सिविल विविध विलंब क्षमा आवेदन संख्या 8716 वर्ष 2021

1. यह वर्तमान अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु आवेदन है।

2. यह प्रथम अपील आदेश अपीलकर्ता–राज्य द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 13, लखनऊ द्वारा दावा याचिका संख्या 1300464 वर्ष 2005 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.10.2015 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा दावा याचिका दायर करने की तिथि से 7% वार्षिक ब्याज के साथ 3,99,000/– रुपये का मुआवजा दावेदारों के पक्ष में प्रदान किया गया था।

3. कार्यालय ने वर्तमान अपील दायर करने में 1835 दिनों के विलंब की सूचना दी है।

4. विलंब क्षमा आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र में विलंब के लिए दिए गए कारण निम्नलिखित हैं:

"2. उपरोक्त नामित याचिकाकर्ता, श्री रमेश कुमार यादव, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 13, लखनऊ द्वारा दावा याचिका संख्या 1300464 वर्ष 2005 में पारित अंतिम आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.10.2015 के प्रति संलग्न आदेश से प्रथम अपील दायर कर रहे हैं।

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

*3. यह कि सभी तथ्य आदेश **से** प्रथम अपील में विस्तार से बताए गए हैं और संक्षिप्तता के लिए उन्हें यहाँ दोहराया नहीं गया है। याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायालय से इस आवेदन की सुनवाई के समय भी संलग्न आदेश से प्रथम अपील की विषय–वस्तु को संदर्भित करने और उसका आश्रय लेने की अनुमति हेतु प्रार्थना करते हैं।*

4. यह कि दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण प्रथम अपील आदेश दायर करने में 1835 दिनों का विलंब हुआ है और इस माननीय न्यायालय के समक्ष दायर करने के लिए दस्तावेजों की व्यवस्था करने की प्रक्रिया समय लेने वाली थी और इसलिए विलंब हुआ।

5. यह कि इस माननीय न्यायालय ने कई मामलों में यह धारित किया है कि जिस तरीके से नौकरशाही प्रक्रिया कार्य करती है, उसमें विलंब होना स्वाभाविक है। यदि मामला गुण–दोष के आधार पर स्वीकार किए जाने योग्य है, तो न्यायालय को विलंब क्षमा करने में उदार होना चाहिए। यह धारित किया गया है कि एक बार जब राज्य द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने में विलंब का पर्याप्त कारण दर्शा दिया जाता है, तो न्यायालय ऐसे विलंब को क्षमा करने का इच्छुक होगा। उपरोक्त सिद्धांतों को उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरीश चंद्र और अन्य (1996) (9) एससीसी 309 के मामले में प्रतिपादित किया गया है। यह भी धारित किया गया है कि न्यायालय तक पहुँचने में हुए विलंब को क्षमा करने की शक्ति न्यायालयों को इसलिए प्रदान की गई है ताकि वे मामलों का गुण–दोष के आधार पर निस्तारण कर पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्रदान कर सकें। इसी प्रकार बिहार राज्य बनाम कामेश्वर प्रसाद सिंह 2000 (9) एससीसी 94 के मामले में यह धारित किया गया है कि यह माननीय न्यायालय सामान्यतः याचिका दायर करने में हुए विलंब को हद तक पर्याप्त कारण स्पष्ट किए जाने पर विलंब को क्षमा करने में कुछ हद तक उदार दृष्टिकोण अपनाता है।

6. यह कि वर्तमान प्रथम अपील आदेश दायर करने में हुआ विलंब पूर्ण रूप से अनपेक्षित और सद्भावनापूर्ण है, जिसे न्याय के हित में इस माननीय न्यायालय द्वारा क्षमा किए जाने की प्रार्थना की जाती है।

7. यह कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 ने दावा याचिका में दिनांक 03.07.2006 को लिखित कथन /आपत्ति दायर की थी और लखनऊ में नियुक्त उत्तर प्रदेश राज्य के डीजीसी सिविल के माध्यम से दावा आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की थी। और उनसे मामले में आगे के घटनाक्रमों की जानकारी देने

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

का अनुरोध किया गया था, लेकिन अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने विभाग को दिनांक 14.10.2015 के अंतिम आदेश के बारे में भी कभी सूचित नहीं किया, जब विद्वान अधिकरण द्वारा पंचाट पारित किया गया था। सम्मानपूर्वक यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान अधिवक्ता न तो 2006 में और न ही अक्टूबर 2015 में उत्तराखंड राज्य के अधिवक्ता थे, जब विद्वान अधिकरण द्वारा आक्षेपित पंचाट पारित किया गया था। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि उत्तराखंड राज्य वर्तमान अधिवक्ता से, मात्र आवश्यकता के आधार पर, बिना किसी रिटेनरशिप के, दिसंबर 2015 से उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ लखनऊ के लिए सेवाओं को प्राप्त कर रहा है।

8. यह कि याचिकाकर्ता को विद्वान अधिकरण से निष्पादन वाद संख्या 799 वर्ष 2018 में महामारी के दौरान 21.03.2020 को सुनवाई के लिए समन प्राप्त हुआ।

9. यह कि उक्त समन प्राप्त होने के बाद, अपीलकर्ताओं ने मामले की जाँच की और उन्हें पता चला कि एमएसी याचिका संख्या 1300464 वर्ष 2005 में दावाकर्ता–प्रतिवादी संख्या 1, अजीत कुमार अग्निहोत्री के पक्ष में 14.10.2015 को अधिनिर्णय पारित किया गया था।

10. यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्व प्रेरणा रिट याचिका (सिविल) संख्या 3/2020 'इन रे: कॉग्निजेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन' के मामले में निम्नलिखित आदेश पारित किया:–

> "इस न्यायालय ने कोविड–19 वायरस के कारण देश के सामने उत्पन्न चुनौती और उसके परिणामस्वरूप होने वाली कठिनाइयों की स्थिति का स्व प्रेरणा से संज्ञान लिया है, जिसका सामना देश भर के वादकारियों को अपनी अन्य याचिकाओं/आवेदनों/वादों/अपीलों/सभी कार्यवाहियों को सामान्य परिसीमन विधि या विशेष विधियों के अंतर्गत निर्धारित परिसीमन अवधि के अंतर्गत दायर करने में करना पड़ सकता है।
>
> ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिवक्तागण/ वादकारियों को इस न्यायालय सहित देश भर के संबंधित न्यायालयों/अधिकरणों में ऐसी कार्यवाही दायर करने के लिए भौतिक रूप से न आना पड़े, एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि ऐसी सभी कार्यवाहियों में परिसीमन की अवधि, चाहे सामान्य अथवा विशेष विधियों में विहित परिसीमन कुछ भी हो, चाहे वह क्षम्य हो या नहीं, 15 मार्च 2020 से वर्तमान कार्यवाही

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में इस न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अगले आदेश/आदेशों तक विस्तारित रहेगी।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 सहपठित अनुच्छेद 142 के अंतर्गत, हम इस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और यह घोषणा करते हैं कि यह आदेश अनुच्छेद 141 के अर्थ में सभी न्यायालयों/अधिकरणों और अधिकारियों पर बाध्यकारी आदेश है।

यह आदेश सभी उच्च न्यायालयों के संज्ञान में लाया जाए ताकि इसे उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों/अधिकरणों को सूचित किया जा सके।

सभी उच्च न्यायालयों के महानिबंधक को नोटिस जारी करें, जिसका चार सप्ताह में उत्तर दिया जाए।"

11. यह कि उपर्युक्त स्व प्रेरणा रिट याचिका (सिविल) संख्या 3/2020 'इन रे: कॉग्निजेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन' को पुनः दिनांक 06.05.2020 को सूचीबद्ध किया गया था जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करना उचित समझा:-

" निर्देशों हेतु आईए संख्या 48411/2020

निर्देशों के लिए यह आवेदन दायर करते हुए आवेदक ने निम्नलिखित प्रार्थना की है:

"(i) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 29A के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही और (ii) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंध में उचित निर्देश जारी किये जायें;"

स्व प्रेरणा रिट याचिका (सिविल) संख्या 3/2020 में पारित इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 23.03.2020 के आलोक में और कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रभाव और अधिवक्ताओं और वादकारियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और ऐसी कठिनाइयों को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि अधिवक्ताओं/मुकदमेबाजों को इस न्यायालय सहित देश भर के संबंधित न्यायालयों/अधिकरणों में ऐसी कार्यवाही दायर करने के लिए भौतिक रूप से न आना पड़े, एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत और

Translated version. Not for legal use.

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 में विहित परिसीमन की सभी अवधियां दिनांक 15.03.2020 से प्रभावी होकर इस कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अगले आदेशों तक विस्तारित रहेंगी।

यदि परिसीमन अवधि दिनांक 15.03.2020 के बाद समाप्त हो गई है, तो दिनांक 15.03.2020 से उस दिनांक तक की अवधि, जिस दिन उस क्षेत्राधिकार क्षेत्र में लॉकडाउन हटा दिया जाता है जहाँ विवाद की विषयवस्तु स्थित है या जहाँ कार्रवाई का हेतुक उत्पन्न होता है, लॉकडाउन हटाये जाने के बाद 15 दिनों की अवधि के लिए विस्तारित की जाएगी।"

उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान अंतरिम आवेदन का निस्तारण किया जाता है। अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 48375/2020- स्पष्टीकरण/निर्देश और अंतर्वर्ती आवेदन स्पष्टीकरण/निर्देश संख्या 48511/2020- और अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 48461/2020 स्पष्टीकरण/निर्देश और अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 48374/2020-हस्तक्षेप आवेदन और अंतर्वर्ती आवेदन आवेदन संख्या 48416/2020-हस्तक्षेप और LA हस्तक्षेप आवेदन संख्या 48408/2020 नोटिस जारी करें। प्रतिवादी भारत संघ की ओर से सेवा में छूट दी जाती है क्योंकि श्री के. के. वेणुगोपाल, भारत के विद्वान महान्यायवादी और श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, उनकी ओर से उपस्थित हुए हैं। अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए।"

12. यह कि उपरोक्त स्व प्रेरणा रिट याचिका (सिविल) संख्या 3/2020 विषय: परिसीमा अवधि के विस्तार के लिए संज्ञान को पुनः दिनांक 08.06.2020 को सूचीबद्ध किया गया था जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करना स्वीकार किया:-

"इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.03.2020 के स्पष्टीकरण के लिए अन्तर्वर्ती आवेदन संख्या 48511/2020 श्री दुष्यंत दवे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सम्मिलित नहीं हुए हैं।

श्री दवे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा ईमेल के माध्यम से भेजे गए पत्र दिनांक 08.06.2020 के आलोक में, स्पष्टीकरण हेतु वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन वापस लिए जाने के कारण खारिज

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया जाता है।

शेष अंतर्वर्ती आवेदन

श्री के.के. वेणुगोपाल, भारत के विद्वान महान्यायवादी ने प्रार्थना की है कि उन्हें प्रत्युत्तर शपथपत्र दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए जैसा कि आवेदक(कों) की ओर से प्रस्तुत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान द्वारा प्रार्थना की गई है, प्रत्युत्तर शपथपत्र का उत्तर उसके एक सप्ताह के भीतर दायर किया जाए।

दिनांक 06.07.2020 को सूचीबद्ध करें।"

13. यह कि अपीलकर्ता ने इलाहाबाद में स्थित अपने अधिवक्ता से संपर्क किया जिन्होंने आक्षेपित पंचाट के विरुद्ध अपील दायर करने की सलाह दी थी और उसके अनुसरण में इस माननीय न्यायालय के समक्ष आदेश से प्रथम अपील दायर करने के लिए आवश्यक विभागीय औपचारिकताएं पूरी की गईं।

14. यह कि यह कहा गया है कि महामारी कोविड–19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन था और अनलॉक की घोषणा के बाद भी कार्यालयों का कामकाज आज तक ठीक नहीं हुआ है और इन परिस्थितियों में इस माननीय न्यायालय तक पहुंचने में कुछ विलंब हुआ है जो न तो जानबूझकर की गयी है और न ही सप्रयोजन। सम्मानपूर्वक यह प्रस्तुत किया जाता है कि मार्च, 2020 में आक्षेपित निर्णय की जानकारी होने के बाद अपीलकर्ता सक्रिय हैं।

15. यह कि आवश्यक विभागीय औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, वर्तमान अधिवक्ता से संपर्क किया गया जिन्होंने अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने की सलाह दी। प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के बाद, अधिवक्ता से पुनः संपर्क किया गया किन्तु अधिवक्ता को मामले से संबंधित कुछ और आवश्यक कागजात/सूचना की आवश्यकता थी जिसे एकत्र किया गया और आदेश से प्रथम अपील तैयार करने के लिए नवंबर में अधिवक्ता को सौंप दिया गया।

16. यह कि वर्तमान आदेश से प्रथम अपील को दिनांक 24.11.2020 को तैयार कराया गया और इसे तैयार करने के बाद बिना किसी और विलंब के दायर किया जा रहा है।

17. यह कि वर्तमान आदेश से प्रथम अपील दायर करने में विलंब न तो जानबूझकर है और न ही सप्रयोजन,

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसलिए यदि अपील दायर करने में कोई विलंब हुई है तो यह न्याय के व्यापक हित में माननीय न्यायालय द्वारा क्षमा किये जाने योग्य है। सम्मानपूर्वक यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता उत्तराखंड राज्य में लखनऊ से बहुत दूर स्थित हैं और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए लखनऊ में डीजीसी सिविल ने किसी भी समय आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान नहीं की थी और न ही विद्वान अधिकरण के निर्णय की समय पर सूचना दी थी। और इस प्रकार अपीलकर्ता मार्च, 2020 से पहले आक्षेपित पंचाट के संबंध में जागरूक नहीं थे और इस प्रकार आज तक आदेश से प्रथम अपील दायर कर इस माननीय न्यायालय तक नहीं उपस्थित हो सके।

18. यह कि इन तथ्यों और परिस्थितियों में, यह न्यायहित में यह उचित और समीचीन है कि माननीय न्यायालय वर्तमान आदेश से प्रथम अपील दायर करने में हुए विलंब, यदि कोई हो, को क्षमा करने की कृपा करे, अन्यथा अपीलकर्ताओं को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।"

5. शपथपत्र के परिशीलन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 14.10.2015 को पारित किया गया था और विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रथम स्पष्टीकरण कोविड काल का दिया गया है जो वर्ष 2020 में प्रारंभ हुआ था। अपीलकर्ता उससे पूर्व के पांच वर्षों के विलंब पर मौन हैं। विलंब का कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है और राज्य द्वारा मात्र बहाने बनाए गए प्रतीत होते हैं। अपीलकर्ताओं द्वारा बताया गया कारण विशुद्ध रूप से नौकरशाही है और वे इस प्रकार के नौकरशाही के विलंब का लाभ नहीं उठा सकते।

6. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम चंद्र मणि एवं अन्य [(1996) 3 एससीसी 132] के मामले में यह व्यवस्था दी है कि लालफीताशाही में सम्मिलित अवैयक्तिक नौकरशाही व्यवस्था के संबंध में उचित सीमा में एक निश्चित मात्रा में रियायत दी जा सकती है। राज्य को किसी व्यक्ति के समान स्तर पर नहीं आंका जाना चाहिए। अतः इस प्रकार हुए विलंब को क्षमा किया जा सकता है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

8. अपील दायर करने में हुए विलंब क्षमा हेतु आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा विलंब को उचित ठहराने का प्रयास किया गया है। संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के स्थान पर यह विलंब क्षमा आवेदन में मात्र एक बहाना प्रस्तुत कर रहा है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

9. आगे कार्यवाही करने से पूर्व, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:–

"5. विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण–

कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक, न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था ।

स्पष्टीकरण:– यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक विहित काल का अभिनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतुक हो सकेगा।"

10. परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के सरल पठन से यह स्पष्ट होता है कि विहित अवधि के बाद अपील स्वीकार की जा सकती है, यदि अपीलकर्ता न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी निर्धारित अवधि के अंतर्गत अपील न करने का पर्याप्त कारण था। पर्याप्त कारण साबित करने का भार अपीलकर्ता पर है, जो विलंब के लिये क्षमायाचना कर रहा है और उसे पर्याप्त कारण सिद्ध करना होगा कि न्यायालय तक न पहुंचने के कारण वास्तविक, सद्भावी और लापरवाही से मुक्त हैं।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***लंका वेंकटेश्वरलू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मनु/एससी/0153/2011*** के मामले में अपील दायर करने में हुए विलंब को, जो किसी अपरिहार्य परिस्थिति के कारण नहीं, बल्कि संबंधित शासकीय अधिवक्ताओं की स्पष्ट अक्षमता और अयोग्यता के कारण हुआ था, मात्र इसलिए कि क्षमायाची पक्ष राज्य था।

12. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***पोस्टमास्टर जनरल एवं अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड एवं अन्य [(2012) 3 एससीसी 563]*** के मामले में यह टिप्पणी की है कि राज्य यह दावा नहीं कर सकता कि उनके पास परिसीमा की एक भिन्न अवधि है और विश्वसनीय और स्वीकार्य स्पष्टीकरण के अभाव में, विलंब को मात्र इस आधार पर यांत्रिक तरीके से क्षमा नहीं किया जा सकता कि सरकार या उसकी संस्था न्यायालय के समक्ष एक पक्ष है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विभाग विगत निर्णयों का लाभ नहीं उठा सकता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

और आधुनिक तकनीक उपलब्ध होने के दृष्टिगत अवैयक्तिक तंत्र और विरासत में मिली नौकरशाही पद्धति या कई टिप्पण बनाने के आधार पर दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। परिसीमा विधि सरकार सहित सभी पर समान रूप से लागू होती है।

13. इसी प्रकार का विचार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***महाराष्ट्र सरकार (जल संसाधन विभाग) प्रतिनिधि अधिशाषी अभियंता बनाम बोरसे ब्रदर्स इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, (2021) 6 एससीसी 460***, में दोहराया गया था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***पोस्टमास्टर जनरल (उपरोक्त)*** पर विश्वास जताते हुए यह धारित किया कि मात्र इसलिए कि सरकार संलिप्त है, विलंब की क्षमा के लिए भिन्न मापदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ओडिशा राज्य और अन्य बनाम सुनंदा महाकुड़ा, (2021) 11 एससीसी 560** में यह धारित किया है कि विलंब क्षमा के मामलों में प्रशासनिक अक्षमताओं के कारण राज्य और उसकी संस्थाओं द्वारा पहले जो रियायत दी जाती थी, वह तकनीकी उन्नति और ***पोस्टमास्टर जनरल (उपरोक्त)*** के निर्णय के कारण अब मान्य नहीं है।

15. इसी प्रकार, **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सभा नारायण, (2022) 9 एससीसी 266** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर राज्य और उसकी संस्थाओं की उस प्रवृत्ति की निंदा की, जिसमें वे विधि द्वारा निर्धारित परिसीमा अवधि की अवहेलना करते हुए, मानो परिसीमा विधि उन पर लागू नहीं होती है, इस धारणा पर कार्यवाही करते हैं कि वे अपनी सुविधा से और जब मन चाहे तब न्यायालय पहुँच सकते हैं। यह माना गया कि वह रियायत जो एक समय में आंतरिक कार्यात्मक अक्षमताओं के कारण सरकार/सार्वजनिक अधिकारियों को दी जाती थी, अब वह मानक नहीं रह गई है, विशेष रूप से **पोस्टमास्टर जनरल (उपरोक्त)** के निर्णय के आलोक में।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिवम्मा (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड और अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1969** के मामले में निम्नानुसार धारित किया है:-

> *"210. उपरोक्त से यह समझा जा सकता है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलंब की क्षमा पर न्यायशास्त्र, विशेष रूप से जहाँ राज्य या उसकी कोई संस्था सम्मिलित है, में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। एक ऐसे विधिक अधिदेश से, जो कभी राज्य को उसकी प्रशासनिक जटिलताओं और संस्थागत जड़ता के आधार पर अधिमान्य रियायत देता था, अब सरकार और निजी वादियों के बीच समानता पर जोर*

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

देने के लिए विधि का विकास हुआ है। तर्क यह है कि सार्वजनिक हित सरकारी अक्षमता को क्षमा करने से नहीं, बल्कि सार्वजनिक मुकदमेबाजी के संचालन में जवाबदेही, परिश्रम और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने से बेहतर ढंग से पूरा होता है।

230. सरकार के लिए विलंब की क्षमा को एक सामान्य बात बनने देना संस्थागत अक्षमता का हानिकारक प्रभाव डालेगा। यह, संक्षेप में, आलस्य को प्रोत्साहित करेगा और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देगा जहाँ विलंब के लिए उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। यदि राज्य को यह आश्वासन दिया जाता है कि उसकी खामियों को "सार्वजनिक हित" की श्रेणी के अंतर्गत सदैव क्षमा कर दिया जाएगा, तो उसके अधिकारियों के लिए सतर्कता के साथ कार्य करने या उसकी संस्थाओं के लिए समय पर कार्रवाई के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन बचेगा। इसका परिणाम सार्वजनिक हित की उन्नति नहीं बल्कि उसके प्रति विश्वासघात होगा।

***

232. इसलिए, यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि मार्गदर्शक सिद्धांत सरकारी उदासीनता का संरक्षण नहीं अपितु उत्तरदायी शासन को बढ़ावा देना है। राज्य का कर्तव्य समय पर कार्य करना है, क्योंकि वह जिस भी मामले में मुकदमेबाजी करता है, वह अपनी निजी क्षमता में नहीं, अपितु लोगों के हितों के न्यासी के रूप में करता है। इसलिए, प्रशासनिक अक्षमता के आधार पर विलंब को क्षमा करने में बार–बार रियायत देना परिसीमा विधि के वास्तविक उद्देश्य को नष्ट करने के समान होगा, जो हर सभ्य क्षेत्राधिकार में अंतिमता, निश्चितता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए अधिनियमित किए जाते हैं।

249. एक बार जब राज्य मुकदमा लड़ने का विकल्प चुनता है, तो उसे उन्हीं उत्तरदायित्वों को वहन करना चाहिए और उन्हीं सीमाओं का पालन करना चाहिए जो प्रत्येक वादी पर बाध्यकारी होती हैं। राज्य को इस कृत्रिम अभिवचन पर विलंब के परिणामों से बचने की अनुमति देना कि दोष व्यक्तिगत अधिकारियों का था, परिसीमा विधि की कठोरता को कम करने और उसके वास्तविक उद्देश्य को कमजोर करने के समान होगा। ऐसा दृष्टिकोण न केवल निजी पक्षों के पर राज्य को अन्यायपूर्ण रूप से विशेषाधिकार देगा अपितु प्रशासन में उदासीनता और अनुत्तरदायित्व की संस्कृति को भी कायम रखेगा।

***

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

261. इस प्रकार, पूर्वोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने योग्य है। इससे पूर्व कि हम इस निर्णय का समापन करें, हम पूर्ण रूप से यह स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि प्रशासनिक सुस्ती और ढिलाई कभी भी विलंब की क्षमा हेतु पर्याप्त आधार नहीं हो सकती है, और हम सभी उच्च न्यायालयों को एक सशक्त संदेश देना चाहते हैं कि विलंब को तुच्छ और सतही आधारों पर क्षमा नहीं किया जाएगा, जब तक कि पर्याप्त कारण का उचित मामला नहीं बनाया जाता है, जिसके द्वारा राज्य-तंत्र यह स्थापित करने में सक्षम हो कि उसने सद्भावनायुक्त कार्य किया और पूरे समय सतर्क रहा। जैसा कि प्रसिद्ध विधिक उक्ति है, प्रक्रिया न्याय की दासी है। किन्तु न्यायालयों, और विशेष रूप से संवैधानिक न्यायालयों को, किसी वादकारी राज्य अभिकरण के लिए प्रक्रिया की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, जो अपने स्वयं के लापरवाह रवैये के कारण मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाने में परिसीमा की बाधाओं को समान रूप से झेलती है।

262. उच्च न्यायालयों को राज्य अधिकारियों या उनकी संस्थाओं के ऐसे संवेदनहीन रवैये को वैध प्रभाव नहीं देना चाहिए, और अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए, यदि विलंब की क्षमायाचना करने वाला पक्ष एक राज्य-प्राधिकारी है, तो उन्हें राज्य की निष्क्रियता और सुस्ती का संवाहक नहीं बनना चाहिए। संवैधानिक न्यायालयों को एक निजी वादी की उदासीनता और पीड़ा के प्रति जागरूक होना चाहिए। वादियों को निरंतर वादग्रस्तता की स्थितियों में नहीं रखा जा सकता है, जहाँ उनकी डिक्री या अनुकूल आदेशों के फल बाद के चरणों में विफल हो जाते हैं। हम इस शाश्वत प्रवृत्ति को दोहराते हुए दुखी हैं, और सभी उच्च न्यायालयों को सूचित करते हैं कि वे अत्यधिक विलंब वाले मामलों की पुनः सुनवाई न करें, जब तक कि पर्याप्त कारण वर्तमान न हो, क्योंकि ऐसा करते हुए न्यायालय मात्र अपमान का घूँट पिलाती हैं, विशेष रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत अपीलों में, जहाँ उनका अधिकार क्षेत्र पहले से ही विधि के प्रश्नों तक सीमित है।"

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में प्रतिपादित निर्णयाधार के दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि राज्य या उसकी संस्थाओं के साथ किसी भी व्यक्ति के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, परिसीमा विधि को उनके लिए भिन्न नहीं कहा जा सकता।

18. अपीलकर्ताओं ने विलंब को युक्तियुक्त सिद्ध करने का प्रयास किया है लेकिन शपथपत्र में प्रस्तुत किये गए कारण "पर्याप्त कारण" के बजाय एक बहाने के समान लगते हैं जिसने उन्हें समय के भीतर अपील दायर करने से

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

रोका।

19. पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि विलंब को उचित सिद्ध करने के लिए एक दुर्बल प्रयास किया गया है; शपथपत्र में कथित विलंब पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है और तदनुसार, विलंब की क्षमा हेतु यह आवेदन खारिज किया जाता है।

20. परिणामस्वरूप, विलंब और कमियों के आधार पर अपील भी खारिज की जाती है।

21. राज्य उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये स्वतंत्र है जो इस प्रकार के विलंब के लिए उत्तरदायी हैं।

19 मार्च, 2026
सौरभ यादव

(न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।